रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2009/भाद्र 27, 1931
No. 544] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2009/BHADRA 27, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2009

सा. का. नि. 687(अ).—केन्द्र सरकार सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, 18 सितम्बर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (ख) के उपबंध प्रभावी होंगे।

[फा. सं. पी-16017/72/2007-पी. एच.]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2009

G.S.R. 687(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Cigarettes and Other Tabacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003) the Central Government hereby appoints 18th September, 2009 as the date on which the provisions of clause (b) of Section 6 of the said Act shall come into force.

[F. No. P-16017/72/2007-PH]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.

3427 GI/2009

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054